



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1180] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 28, 2007/आश्विन 6, 1929
No. 1180] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 28, 2007/ASVINA 6, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2007

(आय-कर)

का.आ. 1678(अ).—अधिसूचना सं. का.आ. 1093(अ) (दिनांक 21 जून, 2007) का अधिक्रमण करते हुए तथा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ड क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज कस्टमर्स प्रोटेक्शन फंड, डी एस ई हाऊस, 3/1, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002" को दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड जो भारत का मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, द्वारा स्थापित एक निवेशक प्रोटेक्शन फंड के रूप में कर निर्धारण वर्ष 2002-03 तथा उससे आगे उक्त खंड के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करती है।

[अधिसूचना सं. 247/2007/फा. सं. 197/219/2002-आयकर नि.-1]

डॉ. जगदीप गोयल, निदेशक (आ.क.नि.-1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2007

(INCOME TAX)

S.O. 1678(E).—In supersession of notification bearing S.O. 1093(E) (dated 21st June, 2007) and in exercise of the powers conferred by the clause (23EA) of Section 10 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the "Delhi Stock Exchange Customers' Protection Fund, DSE House, 3/1, Asaf Ali Road, New Delhi-I 10002" as an investor Protection Fund set up by the Delhi Stock Exchange Association Limited, a recognised stock exchange in India, for the purposes of the said clause from the assessment year 2002-03 and onwards.

[Notification No. 247/2007/F. No. 197/219/2002-ITA-I]

Dr. JAGDEEP GOEL, Director (ITA-I)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2007

(आय-कर)

का.आ. 1679(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 279(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याएं एवं प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः :—

क्रम सं.	मुख्य आयुक्त/आयकर महानिदेशक	आयकर आयुक्त/निदेशक	अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
"8.	आयकर महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) दिल्ली	आयकर निदेशक (अंतरण मूल्य निर्धारण) पुणे	(i) संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-I, पुणे (ii) संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-II, पुणे (iii) उप-आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-III, पुणे (iv) उप-आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-IV, पुणे
9.	आयकर महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), दिल्ली	आयकर निदेशक (अंतरण मूल्य निर्धारण), अहमदाबाद	(i) संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-I, अहमदाबाद (ii) संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-I, रायपुर (iii) उप-आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-II, अहमदाबाद (iv) उप-आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-II, रायपुर"

[अधिसूचना सं. 249/07/फा. सं. 187/14/2007-आ.का.नि.-I]

डा. जगदीप गोयल, निदेशक

टिप्पणी:— प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र, दिनांक 12 मार्च, 2003 के का.आ. 279(अ) के तहत प्रकाशित की गई तथा तदनन्तर दिनांक 15 दिसम्बर, 2005 के का.आ. 1768(अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के का.आ. 1530(अ) तथा दिनांक 22 अगस्त, 2007 के का.आ. 1447 के तहत संशोधित की गई।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 1679 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 118 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India, Ministry of Finance, (Department of Revenue), vide number S.O. 279(E), dated 12th March, 2003, namely :—

In the said notification in the table, for serial numbers 8 and the entries relating thereto the following serial numbers and entries shall be substituted, namely :—

Serial Number	Chief Commissioner/ Director General of Income-tax	Commissioner/Director of Income-tax	Transfer Pricing Officer
(1)	(2)	(3)	(4)
"8.	Director General of Income-tax (International Taxation), Delhi	Director of Income-tax (Transfer Pricing), Pune	(i) Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-I, Pune (ii) Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-II, Pune (iii) Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-III, Pune (iv) Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-IV, Pune
9.	Director General of Income-tax (International Taxation), Delhi	Director of Income-tax (Transfer Pricing), Ahmedabad	(i) Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-I, Ahmedabad. (ii) Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-I, Raipur (iii) Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-II, Ahmedabad (iv) Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-II, Raipur"

[Notification No. 249/07/F. No. 187/14/2007-ITA.-I]

Dr. JAGDEEP GOEL, Director

Note : The Principal notification was published in the Gazette of India vide S.O. 279(E), dated the 12th March, 2003 and subsequently amended vide S.O. 1768(E), dated the 15th December, 2005, vide S.O. 1530(E) dated 14th September, 2006 and vide S.O. 1447(E) dated 22nd August, 2007.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2007

(आय-कर)

का.आ. 1680(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का.आ. 881(अ) दिनांक 14 सितम्बर, 2001 अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. उक्त अधिसूचना में—

- (i) प्रस्तावना में, 'क्रम संख्या 1 से 5' शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर 'क्रम संख्या 1 से 8' शब्दों एवं आंकड़ों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) पैरा (ख) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ख) इस अधिसूचना में उल्लिखित आयकर निदेशकों को अपर आयकर निदेशकों अथवा संयुक्त आयकर निदेशकों जो उनके अधीनस्थ हैं, में लिखित रूप से अधिकार प्रदान करने वाले आदेशों को जारी करना है ताकि वे इस अनुसूची के कॉलम (4) में संगत प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट ऐसे प्रादेशिक क्षेत्रों अथवा ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों की श्रेणियों अथवा ऐसी आयों अथवा आयों की श्रेणियों अथवा ऐसे मामलों अथवा मामलों की श्रेणियों के संबंध में अपर आयकर आयुक्त अथवा संयुक्त आयकर आयुक्त अधिकारों का प्रयोग तथा कार्यों का निष्पादन कर सकें।”

(iii) पैरा (ग) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ग) इस अधिसूचना के खंड (ख) में उल्लिखित अपर आयकर निदेशकों तथा संयुक्त आयकर निदेशकों द्वारा निर्धारण अधिकारी जो उनके अधीनस्थ हैं, द्वारा अधिकारों का प्रयोग करने तथा कार्यों का निष्पादन करने के लिए ऐसे विनिर्दिष्ट क्षेत्र अथवा ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों की श्रेणियों अथवा ऐसी आयों अथवा आयों की श्रेणियों अथवा ऐसे मामलों अथवा मामलों की श्रेणियों के संबंध में लिखित आदेशों को जारी करना है जो इस अधिसूचना के खण्ड (ख) के अंतर्गत ऐसे अपर आयकर निदेशकों अथवा संयुक्त आयकर निदेशकों के संबंध में प्राधिकृत हैं।”

अनुसूची

क्र.सं.	आयकर प्राधिकारियों के पदनाम	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों की श्रेणी	अधिकार और कार्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), दिल्ली-1	नई दिल्ली	(i) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र (ii) हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र।	1. कॉलम 4 में (i) पर उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों जिनके नाम 'ए' से 'एम' किन्ही वर्ण क्रम से शुरू होते हैं :- (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के आशय के भीतर विदेशी कम्पनियों सहित अनिवासी होने के नाते व्यक्तियों और जिनका कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार की लागू शर्तों के अनुसार कोई स्थायी संस्थापन है अथवा जिनका कोई “कारोबार संबंध” है अथवा जिनका कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में उद्भूत होने वाली अथवा प्राप्त होने वाली अथवा उद्भूत अथवा प्राप्त समझी जाने वाली आय का कोई स्रोत है। (ख) कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोत से व्युत्पन्न होने वाली आय कम्पनियों से भिन्न होने के नाते व्यक्तियों और कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में निवास करने वाले। (ग) कारोबार अथवा व्यवसाय से व्युत्पन्न होने वाली आय कम्पनियों से भिन्न होने के नाते व्यक्तियों तथा	(क) कॉलम (5) की मद I (क) और II (ख) पर उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 ड, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ, तथा 197 के तहत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्य और अधिकार सहित सभी कार्य और अधिकार। (ख) अनिवासियों को किए गए संदायों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 ड, 195, 196 क, 196ख, 196 ग, 196घ तथा 197 से संबंधित सभी कार्य और अधिकार तथा कॉलम (5) की मद। (ख), (ग), (घ), (ड) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में विदेशी कम्पनियों।

(5)

जिसका कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर कारोबार का प्रमुख स्थल है;

(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कम्पनियाँ होने के नाते व्यक्तियों और जिनका कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में कारोबार का पंजीकृत कार्यालय तथा प्रमुख स्थल है;

(ङ) कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII अथवा अध्याय XVII-ख के तहत स्रोत पर कर-कटौती के लिए जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति।

II. कॉलम (4) में (ii) पर उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के लिए :

(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के आशय के भीतर विदेशी कम्पनियों सहित अनिवासी होने के नाते व्यक्तियों और जिनका कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार की लागू शर्तों के अनुसार कोई स्थायी संस्थापन है अथवा जिनका कोई "कारोबार संबंध" है अथवा जिनका कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में उद्भूत होने वाली आवा प्राप्त होने वाली अथवा उद्भूत अथवा प्राप्त समझी जाने वाली आय का कोई स्रोत है;

(ख) कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोत से व्युत्पन्न होने वाली आय कम्पनियों से भिन्न होने के नाते व्यक्तियों और कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में निवास करने वाले;

(ग) कारोबार अथवा व्यवसाय से व्युत्पन्न होने वाली आय कम्पनियों से भिन्न होने के नाते व्यक्तियों तथा जिसका कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर कारोबार का प्रमुख स्थल है;

(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कम्पनियाँ होने के नाते व्यक्तियों और जिनका कॉलम (4)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				में उल्लिखित क्षेत्र में कारोबार का पंजीकृत कार्यालय तथा प्रमुख स्थल है;	
				(ड) कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII अथवा अध्याय XVII-ख के तहत स्रोत पर कर-कटौती के लिए जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति।	
2	आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), दिल्ली-II	नई दिल्ली	(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र (ii) का.आ. 732(अ) दिनांक 31-7-2001 का.आ. 733(अ) दिनांक 31-7-2001 तथा का.आ. 185(अ) दिनांक 12-2-2007 में विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य में मु.आ.आ., कानपुर, मु.आ.आ., गाजियाबाद तथा मु.आ.आ., देहरादून के क्षेत्राधिकार के अधीन प्रादेशिक क्षेत्र।	1. कॉलम 4 में (i) पर उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों जिनके नाम 'एन' से 'जेड' किन्ही वर्ण क्रम से शुरू होते हैं :- (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के आशय के भीतर विदेशी कम्पनियों सहित अनिवासी होने के नाते व्यक्तियों और जिनका कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार की लागू शर्तों के अनुसार कोई स्थायी संस्थापन है अथवा जिनका कोई "कारोबार संबंध" है अथवा जिनका कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में उद्भूत होने वाली अथवा प्राप्त होने वाली अथवा उद्भूत अथवा प्राप्त समझी जाने वाली आय का कोई स्रोत है; (ख) कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोत से व्युत्पन्न होने वाली आय कम्पनियों से भिन्न संबंध में विदेशी कम्पनियाँ। होने के नाते व्यक्तियों और कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में निवास करने वाले; (ग) कारोबार अथवा व्यवसाय से व्युत्पन्न होने वाली आय कम्पनियों से भिन्न होने के नाते व्यक्तियों तथा जिसका कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर कारोबार का प्रमुख स्थल है; (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कम्पनियाँ होने के नाते व्यक्तियों और जिनका कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में कारोबार का पंजीकृत कार्यालय तथा प्रमुख स्थल है;	(क) कॉलम (5) की मद I (क) और II (ख) पर उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 ड, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ तथा 197 के तहत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्य और अधिकार सहित सभी कार्य और अधिकार। (ख) अनिवासियों को किए गए संदायों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ तथा 197 से संबंधित सभी कार्य और अधिकार तथा कॉलम (5) की मद I(ख), I(ग), I(घ), I(ड), II(ख), II(ग), II(घ) और II(ड) में उल्लिखित व्यक्तियों के

(5)

(ड) कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII अथवा अध्याय XVII-ख के तहत स्रोत पर कर-कटौती के लिए जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति।

II. कॉलम (4) में (ii) पर उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के लिए :

(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के आशय के भीतर विदेशी कम्पनियों सहित अनिवासी होने के नाते व्यक्तियों और जिनका कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार की लागू शर्तों के अनुसार कोई स्थायी संस्थापन है अथवा जिनका कोई "कारोबार संबंध" है अथवा जिनका कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में उद्भूत होने वाली आय प्राप्त होने वाली अथवा उद्भूत अथवा प्राप्त समझी जाने वाली आय का कोई स्रोत है।

(ख) कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोत से व्युत्पन्न होने वाली आय कम्पनियों से भिन्न होने के नाते व्यक्तियों और कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में निवास करने वाले;

(ग) कारोबार अथवा व्यवसाय से व्युत्पन्न होने वाली आय कम्पनियों से भिन्न होने के नाते व्यक्तियों तथा जिसका कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर कारोबार का प्रमुख स्थल है;

(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कम्पनियाँ होने के नाते व्यक्तियों और जिनका कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में कारोबार का पंजीकृत कार्यालय तथा प्रमुख स्थल है;

(ड) कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII अथवा अध्याय XVII-ख के तहत स्रोत पर कर-कटौती के लिए जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति।

	(4)	(5)	(6)
	(iii) का.आ. 732(अ), दिनांक 31-7-2001, का.आ. 733(अ), दिनांक 31-7-2001 तथा का.आ. 185(अ) दिनांक 12-2-2007 में विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य में मु.आ.आ., लखनऊ, मु.आ.आ., इलाहाबाद, मु.आ.आ., बरेली के क्षेत्राधिकार के अधीन प्रादेशिक क्षेत्र।	III. कॉलम 4 में (iii) पर उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्रों के लिए : (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के आशय के भीतर विदेशी कम्पनियों सहित अनिवासी होने के नाते व्यक्तियों और जिनका कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार की लागू शर्तों के अनुसार कोई स्थायी संस्थापन है अथवा जिनका कोई "कारोबार संबंध" है अथवा जिनका कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में उद्भूत होने वाली अथवा प्राप्त होने वाली अथवा उद्भूत अथवा प्राप्त समझी जाने वाली आय का कोई स्रोत है।	(ग) कॉलम (5) की मद III (क) पर उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XVII-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती, से संबंधित कार्यों और अधिकारों को छोड़कर सभी कार्य और अधिकार।
3. आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), मुम्बई।	मुम्बई, महाराष्ट्र वृहत नगर पालिका परिषद्, मुम्बई तथा ठाणे और रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र।	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के आशय के भीतर विदेशी कम्पनियों सहित अनिवासी होने के नाते व्यक्तियों और जिनका कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार की लागू शर्तों के अनुसार कोई स्थायी संस्थापन है अथवा जिनका कोई 'कारोबार संबंध' है अथवा जिसका कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में उद्भूत होने वाली अथवा प्राप्त होने वाली अथवा उद्भूत अथवा प्राप्त समझी जाने वाली आय का कोई स्रोत है। (ख) कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोत से व्युत्पन्न होने वाली आय कम्पनियों से भिन्न होने के नाते व्यक्तियों और कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में निवास करने वाले ; (ग) कारोबार अथवा व्यवसाय से व्युत्पन्न होने वाली आय कम्पनियों से भिन्न होने के नाते व्यक्तियों तथा जिसका कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर कारोबार का प्रमुख स्थल है; (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कम्पनियाँ होने के नाते व्यक्तियों और जिनका कॉलम (4)	(क) कॉलम (5) की मद (क) पर उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ, तथा 197 के तहत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों और अधिकार सहित सभी कार्य और अधिकार। (ख) अनिवासियों को किए गए संशोधन पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड, 195, 196क, 196ख, 196 ग, 196 घ तथा 197 से संबंधित सभी कार्य और अधिकार तथा कॉलम (5) की मद (ख), (ग), (घ), (ड) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में विदेशी कम्पनियाँ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				में उल्लिखित क्षेत्र में कारोबार का पंजीकृत कार्यालय तथा प्रमुख स्थल है;	
				(ड) कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII अथवा अध्याय XVII-ख के तहत स्रोत पर कर-कटौती के लिए जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति।	
4.	आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), बंगलौर।	बंगलौर, कर्नाटक	कर्नाटक, गोआ तथा आंध्र प्रदेश राज्य की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र।	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के आशय के भीतर विदेशी कम्पनियों सहित अनिवासी होने के नाते और जिनका कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार की लागू शर्तों के अनुसार कोई स्थायी संस्थापन है अथवा जिनका कोई 'कारोबार संबंध' है अथवा जिनका जिनका कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में उद्भूत होने वाली अथवा प्राप्त होने वाली अथवा उद्भूत अथवा प्राप्त समझी जाने वाली आय का कोई स्रोत है। (ख) कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोत से व्युत्पन्न होने वाली आय कम्पनियों से भिन्न होने के नाते व्यक्तियों और कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में निवास करने वाले ; (ग) कारोबार अथवा व्यवसाय से व्युत्पन्न होने वाली आय कम्पनियों से भिन्न होने के नाते व्यक्तियों तथा जिसका कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर कारोबार का प्रमुख स्थल है; (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कम्पनियां होने के नाते व्यक्तियों और जिनका कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में कारोबार का पंजीकृत कार्यालय तथा प्रमुख स्थल है; (ड) कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII अथवा अध्याय XVII-ख के तहत स्रोत पर कर-कटौती के लिए जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति।	(क) कॉलम (5) की मद (क) पर उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 ड, 195, 196 क, 196 ख, 196 ग, 196 घ, तथा 197 के तहत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्य और अधिकार सहित सभी कार्य और अधिकार। (ख) अनिवासियों को किए गए संदावों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड, 195, 196 क, 196ख, 196ग, 196 घ तथा 197 से संबंधित सभी कार्य और अधिकार तथा कॉलम (5) की मद (ख), (ग), (घ), (ड) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में विदेशी कम्पनियाँ ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), चेन्नई ।	चेन्नई तमिलनाडु	तमिलनाडु और केरल राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी और लक्षद्वीप की प्रादेशिक सीमाओं के क्षेत्र भीतर आने वाले क्षेत्र	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के आशय के भीतर विदेशी कम्पनियों सहित अनिवासी होने के नाते व्यक्तियों और जिनका कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार की लागू शर्तों के अनुसार कोई स्थायी संस्थापन है अथवा जिनका कोई 'कारोबार संबंध' है अथवा जिनका कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में उद्भूत होने वाली अथवा प्राप्त होने वाली अथवा उद्भूत अथवा प्राप्त समझी जाने वाली आय का कोई स्रोत है। (ख) कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोत से व्युत्पन्न होने वाली आय कम्पनियों से भिन्न होने के नाते व्यक्तियों और कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में निवास करने वाले; (ग) कारोबार अथवा व्यवसाय से व्युत्पन्न होने वाली आय कम्पनियों से भिन्न होने के नाते व्यक्तियों तथा जिसका कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर कारोबार का प्रमुख स्थल है; (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कम्पनियां होने के नाते व्यक्तियों और जिनका कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में कारोबार का पंजीकृत कार्यालय तथा प्रमुख स्थल है; (ङ) कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधि- नियम, 1961 के अध्याय XVII अथवा अध्याय XVII-ख के तहत स्रोत पर कर-कटौती के लिए जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति ।	(क) कॉलम (5) की मद (क) पर उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 ड, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ, तथा 197 के तहत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्य और अधिकार सहित सभी कार्य और अधिकार । (ख) अनिवासियों को किए गए संदायों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड, 195, 196 क, 196ख, 196ग, 196 घ तथा 197 से संबंधित सभी कार्य और अधिकार तथा कॉलम (5) की मद । (ख), (ग), (घ), (ङ) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में विदेशी कम्पनियों ।
6.	आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), कोलकाता	कोलकाता, पश्चिम बंगाल।	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भीतर की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाली क्षेत्र ।	(i) कॉलम (4) में (i) पर उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के लिए : (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के आशय के भीतर विदेशी कम्पनियों सहित अनिवासी होने के नाते व्यक्तियों और जिनका कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार	(क) कॉलम (5) की मद (क) पर उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधि- नियम 1961 की धारा 194ड, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ, तथा 197 के तहत स्रोत पर कर कटौती संबंधित कार्य और अधिकार की लागू शर्तों के अनुसार कोई

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				स्थायी संस्थापन है अथवा जिनका कोई 'कारोबार संबंध' है अथवा जिनका कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में उद्भूत होने वाली अथवा प्राप्त होने वाली अथवा उद्भूत अथवा प्राप्त समझी जाने वाली आय का कोई स्रोत है। (ख) कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोत से व्युत्पन्न होने वाली आय कम्पनियों से भिन्न होने के नाते व्यक्तियों और कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में निवास करने वाले ; (ग) कारोबार अथवा व्यवसाय से व्युत्पन्न होने वाली आय कम्पनियों से भिन्न होने के नाते व्यक्तियों तथा जिसका कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर कारोबार का प्रमुख स्थल है; (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कम्पनियां होने के नाते व्यक्तियों और जिनका कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में कारोबार का पंजीकृत कार्यालय तथा प्रमुख स्थल है; (ङ) कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII अथवा अध्याय XVII-ख के तहत स्रोत पर कर-कटौती के लिए जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति ।	सहित सभी कार्य और अधिकार । (ख) अनिवासियों को किए गए संदायों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196 घ तथा 197 से संबंधित सभी कार्य और अधिकार तथा कॉलम (5) की मद । (ख), (ग), (घ), (ङ) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में विदेशी कम्पनियाँ ।
	(ii) बिहार, झारखंड असम, मणिपुर, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्य की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र ।			(ii) कॉलम (4) में (ii) पर उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के लिए: (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के आशय के भीतर विदेशी कम्पनियों सहित अनिवासी होने के नाते व्यक्तियों और जिनका कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार की लागू शर्तों के अनुसार कोई स्थायी संस्थापन है अथवा जिनका कोई "कारोबार संबंध" है अथवा जिनका कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में उद्भूत होने वाली अथवा प्राप्त होने वाली अथवा उद्भूत अथवा प्राप्त समझी जाने वाली आय का कोई स्रोत है।	(ग) कॉलम (5) की मद II (क) पर उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XVII-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों और अधिकारों को छोड़कर सभी कार्य और अधिकारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), अहमदाबाद	अहमदाबाद, गुजरात।	(i) छत्तीसगढ़, गुजरात राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र दमन एवं दीप और दादरा एवं नगर हवेली की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र।	(i) कॉलम (4) में (i) पर उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के लिए : (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के आशय के भीतर विदेशी कम्पनियों सहित अनिवासी होने के नाते व्यक्तियों और जिनका कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार की लागू शर्तों के अनुसार कोई स्थायी संस्थापन है अथवा जिनका कोई 'कारोबार संबंध' है अथवा जिनका कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में उद्भूत होने वाली अथवा प्राप्त होने वाली अथवा उद्भूत अथवा प्राप्त समझी जाने वाली आय का कोई स्रोत है। (ख) कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोत से व्युत्पन्न होने वाली आय कम्पनियों से भिन्न होने के नाते व्यक्तियों और कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में निवास करने वाले; (ग) कारोबार अथवा व्यवसाय से व्युत्पन्न होने वाली आय कम्पनियों से भिन्न होने के नाते व्यक्तियों तथा जिसका कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर कारोबार का प्रमुख स्थल है; (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कम्पनियां होने के नाते व्यक्तियों और जिनका कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में कारोबार का पंजीकृत कार्यालय तथा प्रमुख स्थल है; (ङ) कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII अथवा अध्याय XVII-ख के तहत स्रोत पर कर-कटौती के लिए जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति।	(क) कॉलम (5) की मद I (क) पर उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 ड, 195, 196क, 196 ख, 196 ग, 196घ, तथा 197 के तहत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्य और अधिकार सहित सभी कार्य और अधिकार। (ख) अनिवासियों को किए गए संदायों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड, 195, 196 क, 196ख, 196ग, 196 घ तथा 197 से संबंधित सभी कार्य और अधिकार तथा कॉलम (5) की मद। (ख), (ग), (घ), (ङ) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में विदेशी कम्पनियां।
			(ii) मध्य प्रदेश की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	(ii) कॉलम (4) में (ii) पर उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के लिए; (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के आशय के भीतर विदेशी कम्पनियों सहित अनिवासी होने के नाते	(ग) कॉलम (5) की मद II (क) पर उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XVII-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				व्यक्तियों और जिनका कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार की लागू शर्तों के अनुसार कोई स्थायी संस्थापन है अथवा जिनका कोई "कारोबार संबंध" है अथवा जिनका कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में उद्भूत होने वाली अथवा प्राप्त होने वाली अथवा अद्भूत अथवा प्राप्त समझी जाने वाली आय का कोई स्रोत है।	संबंधित कार्यों और अधिकारों को छोड़कर सभी कार्य और अधिकार
8.	आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), पुणे।	पुणे, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य में वृहत मुम्बई नगर पालिका परिषद् तथा ठाणे और रायगढ़ जिलों के भीतर आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर महाराष्ट्र राज्य की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र।	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के आशय के भीतर विदेशी कम्पनियों सहित अनिवासी होने के नाते व्यक्तियों और जिनका कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार की लागू शर्तों के अनुसार कोई स्थायी संस्थापन है अथवा जिनका 'कारोबार संबंध' है अथवा जिनका कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में उद्भूत होने वाली अथवा प्राप्त होने वाली अथवा उद्भूत अथवा प्राप्त समझी जाने वाली आय का कोई स्रोत है। (ख) कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोत से व्युत्पन्न होने वाली आय कम्पनियों से भिन्न होने के नाते व्यक्तियों और जिनका कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में निवास करने वाले ; (ग) कारोबार अथवा व्यवसाय से व्युत्पन्न होने वाली आय कम्पनियों से भिन्न होने के नाते व्यक्तियों तथा जिसका कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर कारोबार का प्रमुख स्थल है; (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कम्पनियां होने के नाते व्यक्तियों और जिनका कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में कारोबार का पंजीकृत कार्यालय तथा प्रमुख स्थल है; (ङ) कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII	(क) कॉलम (5) की मद (क) पर उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ, तथा 197 के तहत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्य और अधिकार सहित सभी कार्य और अधिकार। (ख) अनिवासियों को किए गए 'संदायों' पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ तथा 197 से संबंधित सभी कार्य और अधिकार तथा कॉलम (5) की मद (ख), (ग), (घ), (ङ) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में विदेशी कम्पनियां।

(5)

अथवा अध्याय XVII-ख के तहत
स्रोत पर कर-कटौती के लिए जिम्मेदार
कोई अन्य व्यक्ति।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

[अ. सू. 250/07/फा. सं. 187/09/2007-आ.क.नि. 1]

जगदीप गोयल, निदेशक

टिप्पण : प्रधान अधिसूचना भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) में संख्या का.आ. 881(अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2001 के तहत प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 1680(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 120 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), (Central Board of Direct Taxes), number S.O. 881(E), dated the 14th September, 2001, namely :—

1. In the said notification—

(i) In the preamble, for the words and figures 'serial numbers 1 to 5' the words and figures 'serial numbers 1 to 8' shall be substituted.

(ii) for para (b), the following para shall be substituted, namely :—

“(b) the Directors of Income-tax referred to in this notification to issue orders in writing empowering the Additional Directors of Income-tax or Joint Directors of Income Tax, who are subordinate to them to exercise the powers and perform the functions of Additional Commissioners of Income-tax or Joint Commissioner of Income-tax, in respect of such territorial areas or of such persons or classes of persons or of such incomes or classes of income or of such cases or classes of cases specified in the corresponding entries in column (4) of the Schedule;”

(iii) for para (c), the following para shall be substituted, namely :—

“(c) the Additional Directors of Income-tax and Joint Directors of Income Tax referred to in clause (b) of this notification, to issue orders in writing for the exercise of the powers and performance of the functions by the Assessing Officer, who are subordinate to them, in respect of such specified area or persons or classes of persons or incomes or classes of income of cases or classes of case, in respect of which such Additional Directors of income-tax or Joint Directors of Income Tax are authorized under clause (b) of this notification.”

(iv) for the schedule, the following shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Designation of the Income-tax Authorities	Headquarter	Territorial Area	Persons or class of persons	Powers and functions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Director of Income-tax (International Taxation), Delhi-I	New Delhi	(i) Areas lying within the territorial limits of National Capital Territory of Delhi (ii) Areas lying within the territorial limits of States of Haryana, Punjab,	1. For the territorial area mentioned at (i) in column (4), following persons having their names beginning with any of the alphabets 'A' to 'M': (a) Persons being non-residents including foreign companies within the meaning of Sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance	(a) All functions and powers including functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Section 194E, 195, 96A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income Tax Act, 1961 in respect

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Himachal Pradesh, Rajasthan Jammu & Kashmir, and Union Territory of Chandigarh.	Agreement in the areas mentioned in column (4) or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4)	of persons mentioned at item I(a) and II(a) of column (5)
				(b) persons being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);	(b) all functions and powers relating to Tax Deduction at source under Section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-Tax, Act, 1961 on payments made to non-residents and foreign companies in respect of persons mentioned I(b), I(c), I(d), I(e), II(b), II(c), II(d) and II(e) of column (5).
				(c) persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4);	
				(d) persons being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office or principal place of at item business in the area mentioned in column (4);	
				(e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B or the Income Tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4).	
				II. For the territorial area mentioned at (ii) in column (4) :	
				(a) Persons being non-residents including foreign companies within the meaning of Sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the area mentioned in column (4) or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4) :	
				(b) persons being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);	
				(c) persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4);	
				(d) persons being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office of principal place of business in the area mentioned in column (4);	
				(e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income Tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4);	
2.	Director of Income-tax (International Taxation), Delhi-II	New Delhi	(i) Areas lying within the territorial limits of National Capital Territory of Delhi	1. For the territorial area mentioned at (i) in column (4), following persons having their names beginning with any of the alphabets 'N' to 'Z'	(a) All functions and powers including functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Section 194E,
			(ii) Territorial area	(a) Persons being non-residents including foreign companies within the meaning of	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			under the jurisdiction of CCIT, Kanpur, CCIT, Ghaziabad and CCIT Dehradun in the State of Uttar Pradesh and Uttaranchal, specified in S.O. 732(E) dated 31-7-2001 and S.O. 733 (E) dated 31-7-2001 and 185(E) dated 12-2-2007.	Sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement in the areas mentioned in column (4) or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4);	195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-Tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item I(a) and II(a) of column (5);
				(b) persons being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);	(b) all functions and powers relating to Tax Deduction at source under Section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-Tax, Act, 1961 on payments made to non-residents and foreign companies in respect of persons mentioned at Item I(b), I(c), I(d), I(e), II(b), II(c), II(d) and II(e) of column (5).
				(c) persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4);	
				(d) persons being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);	
				(e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income Tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4).	
				II. For the territorial area mentioned at (ii) in column (4) :	
				(a) Persons being non-residents including foreign companies within the meaning of Sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the area mentioned in column (4) or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4)	
				(b) persons being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);	
				(c) persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4);	
				(d) persons being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office of principal place of business in the area mentioned in column (4);	
				(e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income Tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4);	
		(iii) Territorial area under the jurisdiction of CCIT,		III. For the territorial areas mentioned at (III) in column (4),	(a) All functions and powers excluding functions and
				(a) Persons being non-residents including	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Lucknow, CCIT, Allahabad, CCIT, Bareilly in the State of Uttar Pradesh specified in S.O. 732(E) dated 31-7-2001, S. O. 733(E) dated 31-7-2001 and S.O. 185(E) dated 12-2-2007.	foreign companies within the meaning of Sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column (4) or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4).	powers relating to Tax Deduction at Source under Chapter XVII-B of Income Tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item III(a) of column (5)
3.	Director of Income-tax (International Taxation), Mumbai	Mumbai Maharashtra	In the state of Maharashtra,— Areas lying within the territorial limits of Metropolitan Council of Greater Mumbai and Districts of Thane and Raigarh	(a) Persons being non-residents including foreign companies within the meaning of Sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column (4) or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4); (b) persons being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (c) persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4); (d) persons being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income Tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4).	(a) All functions and powers including functions and powers relating to Tax Deduction at source under Section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-Tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item (a) of column (5) (b) all functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-Tax Act, 1961 on payments made to non-residents and foreign companies in respect of persons mentioned at item (b), (c), (d), (c), (b), (c), (d) and (e) of column (5)
4.	Director of Income-tax (International Taxation), Bangalore	Bangalore Karnataka	Areas lying with the territorial limits of State of Karnataka, Goa and Andhra Pradesh	(a) Persons being non-residents including foreign companies within the meaning of Sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement in the areas mentioned in column (4) or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4) (b) persons being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (c) persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4);	(a) All functions and powers including functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item (a) of column (5) (b) all functions and powers relating to Tax Deduction at source under Section 194E, 195, 196A, 196B,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(d) persons being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);	196C, 196D and 197 of the Income-tax, Act, 1961 on payments made to non-residents and foreign companies in respect of persons mentioned at Item (b), (c), (d), and (e) of column (5)
				(e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income Tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4).	
5.	Director of Income-tax (International Taxation), Chennai	Chennai, Tamil Nadu	Area lying within the territorial limits of State of Tamil Nadu, Kerala, Union Territory of Pondicherry and Lakshadweep	(a) Persons being non-residents including foreign companies within the meaning of Sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement in the areas mentioned in column (4) or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4);	(a) All functions and powers including functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-Tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item 1(a) of column (5)
				(b) persons being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);	
				(c) persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4);	(b) all functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-Tax, Act, 1961 on payments made to non-residents and foreign companies in respect of persons mentioned at Item (b), (c), (d) and (e) of column (5)
				(d) persons being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in Column (4);	
				(e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income Tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4);	
6.	Director of Income-tax (International Taxation), Kolkata	Kolkata, West Bengal	(i) Area lying within the territorial limits of State of West Bengal, Orissa, Sikkim and Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.	1. For the territorial area mentioned at (i) in Column (a)	All functions and powers including functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item (a) of column (5);
				(a) Persons being non-residents including foreign companies within the meaning of Sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement in the areas mentioned in column (4) or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4);	
				(b) persons being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);	(b) all functions and powers relating to tax Deduction at Source under Section 194E, 195, 196A, 196B,
				(c) persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4);	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(d) Persons being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);	196C, 196D and 197 of the Income-Tax, Act, 1961 on payments made to non-residents and foreign companies in respect of persons mentioned at Item (b), (c), (d) and (e) of column (5)
				(e) Any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4).	
		(ii) Areas lying within the territorial limits of State of Bihar, Jharkhand, Assam, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, and Tripura.	II. For the territorial area mentioned at (ii) in column (4).	(a) Persons being non-residents including foreign companies within the meaning of Sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement in the areas mentioned in column (4) or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4).	(c) All functions and powers excluding functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Chapter XVII-B of Income Tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item II(a) of column (5).
7.	Director of Income-tax (International Taxation), Ahmedabad	Ahmedabad, Gujarat	(i) Area lying with the territorial limits of State of Chhattisgarh, Gujarat and Union Territory of Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli	I. For the territorial area mentioned at (i) in Column (4) (a) Persons being non-residents including foreign companies within the meaning of Sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement in the areas mentioned in column (4) or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4). (b) Persons being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (c) Persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4). (d) Persons being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4). (e) Any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII B of the Income tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4).	All functions and powers including functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Sections 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item II(a) of column (5).
			(ii) Areas lying within the territorial limits of Madhya Pradesh	II. For the territorial area mentioned at (ii) in column (4). (a) Persons being non-residents including foreign companies within the meaning of Sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms	(c) All functions and powers excluding functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Chapter XVII-B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				of the applicable Double Tax Avoidance Agreement in the areas mentioned in column (4) or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4).	of Income tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item 11(a) of column (5).
8.	Director of Income-tax (International Taxation), Pune	Pune, Maharashtra	Areas lying with the territorial limits of Maharashtra excluding the areas within Metropolitan Council of Greater Mumbai and District of Thane and Raigarh in the State of Maharashtra.	(a) Persons being non-residents including foreign companies within the meaning of Sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement in the areas mentioned in column (4) or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4). (b) Persons being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (c) Persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4); (d) Persons being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4). (e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVIIB of the Income tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4).	(a) All functions and powers including functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Sections 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item (a) of column (5) (h) all functions and powers relating to Tax Deduction at source under Sections 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax, Act, 1961 on payments made to non-residents and foreign companies in respect of persons mentioned at items (b), (c), (d), and (e) of column (5).

2. This Notification shall come in to force from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 250/2007/F. No. 187/09/2007-ITA-I]

Dr. JAGDEEP GOEL, Director

Note:— The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), Extraordinary, vide number S.O. 881(E) dated the 14th September, 2001.